घृणा और भेदभाव को बढ़ावा देने के ख़िलाफ़ प्रस्ताव

सार्वजनिक चर्चा दस्तावेज़

MINISTRY OF JUSTICE
Tāhū o te Ture

New Zealand Government

विषय वस्तु

न्याय मंत्री की ओर से परिचय 3

प्रस्तावों की खास जानकारी 4

नफ़रत/बैर को बढ़ावा देने के ख़िलाफ़ प्रस्ताव 4

व्यापक भेदभाव के ख़िलाफ़ सुरक्षा में सुधार 5

सबमिट करने का तरीका 6

सरकार आपकी बात सुनना चाहती है 6

25 जून से 6 अगस्त 2021 तक सबमिट कर सकते हैं 6

आप मंत्रालय की नागरिक स्थल वेबसाइट के ज़रिए सबमिट कर सकते हैं 6

आप ईमेल या डाक के ज़रिए भी सबमिट कर सकते हैं 6

गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी 6

सवाल और ज़्यादा जानकारी 7

सुरक्षा संबंधी चिंताएं 8

अगर आप घृणित बोली या व्यवहार महसूस कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? 8

पृष्ठभूमि और संदर्भ 9

सरकार ऐसा क्यों कर रही है? 9

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन उचित सीमाओं के अधीन है 10

मानवाधिकार अधिनियम 1993 में बैर को बढ़ावा देने से रोकने के लिए दो प्रावधान शामिल हैं 11

मौजूदा कानून में कई समस्याओं को पहचाना गया है 12

सरकार छह प्रस्तावों पर फ़ीडबैक माँग रही है 14

इन प्रस्तावों का उद्देश्य क्या है? 14

अब तक वहाँ पर क्या व्यवसाय हुए हैं? 14

वैतांगी विमर्श की संधि 15

अगले कदम 15

इस दस्तावेज़ से प्रस्तावों पर फ़ीडबैक के लिए सवाल मिलते हैं 15

एक परिशिष्ट है जो कानूनी बदलाव के बारे में और विस्तार से बताता है 15

नफ़रत को बढ़ावा देने से संबंधित प्रस्ताव 17

उन समूहों को बढ़ाना जो भड़काव संबंधित प्रावधानों से संरक्षित हैं 17

यह स्पष्ट करना कि कानून किस व्यवहार को प्रतिबंधित करता है और कानून तोड़ने के परिणामों को बढ़ाना 18

व्यापक रूप से भेदभाव के ख़िलाफ़ सुरक्षा में सुधार करना.....21

इस दस्तावेज़ में संबंधित कार्य पर विचार नहीं किया जा रहा है.....24

अतिरिक्त जानकारी 1 – मानवाधिकार अधिनियम 1993 के काम के सेक्शन 25

अतिरिक्त जानकारी 2 – मौजूदा प्रावधानों और प्रस्तावों के बारे में जानकारी.....26

न्याय मंत्री की ओर से परिचय

नमस्ते,

हमारा समाज हर उस व्यक्ति की वजह से मज़बूत है, जो Aotearoa न्यूज़ीलैंड को घर कहता है।

मानवाधिकार अधिनियम 1993 ऐसी बोली को प्रतिबंधित करता है जो जातीय असामंजस्य को भड़काती है और किसी व्यक्ति की पहचान के एक पहलू की वजह से उसके ख़िलाफ़ होने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। 15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च की मस्ज़िद पर हुए आतंकी हमले की जांच करने वाले रॉयल कमिशन की सिफ़ारिशों और न्याय मंत्रालय की समीक्षा के बाद, सरकार ने सुरक्षा नियमों को स्पष्ट करने और मज़बूत करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार और ज़्यादा व्यापक रूप से भेदभाव प्रावधानों में दो और विधान-संबंधी बदलाव का भी प्रस्ताव रख रही है। इस दस्तावेज़ से आपको इन प्रस्तावों और सुधारों के सुझावों पर फ़ीडबैक देने का अवसर मिलता है।

प्रस्ताव उन सभी तरह के संचार पर लागू होता है जो हमारे समाज में समूहों के ख़िलाफ़ असहनीयता, पक्षपात और घृणा की भावनाओं को फैलाने का प्रयास करते हैं। सभी लोग समान हैं और हमारा समाज अपनी पहचान के कई अलग-अलग पहलुओं वाले लोगों से बना है। जातीयता, धर्म या कामुकता जैसी साझा विशेषता के आधार पर किसी समूह के ख़िलाफ़ घृणा को उकसाना, समावेशता, और विविधता के हमारे मूल्यों पर हमला है। इस तरह की उत्तेजना असहनीय है और हमारे समाज में इसका कोई स्थान नहीं है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण मूल्य है जिसका बचाव यह सरकार करती है। यह भेदभाव से मुक्ति के साथ-साथ न्यूज़ीलैंड बिल ऑफ़ राइट्स ऐक्ट 1990 में बताया गया है। इन प्रस्तावों का एक उद्देश्य इन अधिकारों की बेहतर सुरक्षा करना है, जिसमें उन लोगों के अधिकार भी शामिल हैं जो स्वतंत्र रूप से खुद को व्यक्त करने पर अभद्र भाषा का शिकार बनते हैं। बिल ऑफ़ राइट्स ऐक्ट, दूसरों के अधिकारों और हितों के ख़िलाफ़ संतुलित अधिकारों पर उचित दायरे की अनुमति देता है।

ये प्रस्ताव और ज़्यादा व्यापक रूप से उकसाने वाले प्रावधानों को अन्य समूहों के लिए लागू करने की कोशिश करते हैं जो अभद्र भाषा का अनुभव करते हैं, जैसे कि धार्मिक समूह और रेनबो समुदाय। प्रस्ताव अपराधीकरण बोली या महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्वजनिक बहस को रोकने के लिए, हाई थ्रेशोल्ड को कम नहीं करते हैं।

सरकार Aotearoa में ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक एकता को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि इस जगह हर किसी को अपनेपन का अहसास हो। इसका एक ज़रूरी हिस्सा हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाने वाले आचरण और भाषा के ख़िलाफ़ खड़ा होना है। Aotearoa हमारी विविधता की वजह से मज़बूत बना है। जो समुदाय दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और एकता को बढ़ावा देते हैं, हमारे समाज को मज़बूत बनाते हैं। घृणा के अनुभव लोगों को उन जगहों पर असुरक्षित और अवांछित महसूस करा सकते हैं जहाँ उन्हें घर जैसा महसूस करना चाहिए। वे आगे भेदभाव और हिंसा का भी रूप ले सकते हैं। आपको हमारे साथ इन प्रस्तावों पर अपने विचार शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

धन्यवाद

होन क्रिस फाफोई
न्याय - मंत्री

प्रस्तावों की खास जानकारी

सरकार नीचे दिए गए सभी प्रस्तावों पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है। सैद्धांतिक समझौते का मतलब प्रस्तावों के लिए एक व्यापक सामान्य समझौता है, लेकिन विस्तृत विशेष बदलाव पर नहीं। इसका मतलब यह है कि सरकार का मानना है कि बदलाव एक अच्छा विचार है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने और कानून को बदलने का प्रस्ताव रखने से पहले अन्य लोगों के विचारों को भी सुनना ज़रूरी है। मिले फ़ीडबैक के आधार पर प्रस्तावों में बदलाव किया जा सकता है।

इन प्रस्तावों का विस्तृत विवरण और उनके प्रस्तावित किए जाने की वजह इस दस्तावेज़ में 17 पेज से दिए हैं।

ये प्रस्ताव 15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च मस्ज़िद में हुए आतंकवादी हमले की जांच में रॉयल कमीशन की सिफ़ारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा हैं। कुछ अन्य सरकारी कार्य जो नफ़रत भरे अपराध और अभद्र बोली को समझने और संबोधित करते हैं, वह सामान्य रूप से पेज 25 पर सूचीबद्ध हैं। आप इस बारे में और सिफ़ारिशों का जवाब देने के लिए दूसरे कार्य की ज़्यादा जानकारी यहाँ से ले सकते हैं: https://dpmc.govt.nz/our-programmes/national-security/royal-commission-inquiry-terrorist-attack-christchurch-masjidain

नफ़रत/बैर को बढ़ावा देने के ख़िलाफ़ प्रस्ताव

उन समूहों को बढ़ाना जो भड़काव संबंधित प्रावधानों से संरक्षित हैं

- **पहला प्रस्ताव:** मानवाधिकार अधिनियम 1993 के उकसाने वाले प्रावधानों की भाषा में बदलाव करें, ताकि वे उन सभी समूहों की रक्षा कर सकें जो घृणित भाषण के शिकार हैं।
    - वर्तमान में लोगों के समूह को अधिनियम के तहत तब संरक्षित किया जाता है अगर उनके रंग, नस्ल, या जातीय या राष्ट्रीय मूल की वजह से उनके ख़िलाफ़ किसी विशिष्ट तरीके से घृणा को भड़काया जाता है
    - इस प्रस्ताव के तहत, और समूहों को कानून के ज़रिए तब संरक्षित किया जाएगा अगर उनकी किसी विशेषता की वजह से उनके ख़िलाफ़ घृणा को उकसाया गया था। इसमें मानवाधिकार अधिनियम के कुछ या बाकी सभी आधार शामिल हो सकते हैं। इन आधारों को अधिनियम की धारा 21 में सूचीबद्ध किया गया है जो परिशिष्ट एक में शामिल है।

यह स्पष्ट करना कि कानून किस व्यवहार को प्रतिबंधित करता है और कानून तोड़ने के परिणामों को बढ़ाना

- **दूसरा प्रस्ताव:** मानवाधिकार अधिनियम 1993 में मौजूद आपराधिक प्रावधान को अपराध अधिनियम 1961 के नए दण्डनीय अपराध से बदलें, जो कि ज़्यादा स्पष्ट और असरदार है।

- प्रस्ताव एक में सूचीबद्ध विशेषता पर आधारित कानून बदला जाएगा, ताकि वह व्यक्ति जो जानबूझकर किसी विशिष्ट समूह के ख़िलाफ़ घृणा को उकसाता, उत्तेजित करता या बनाए रखता है, वह कानून तोड़ेगा अगर धमकी, अपमानजनक या अपमानित करता है, हिंसा भड़काने सहित
- वह व्यक्ति कानून तोड़ देगा जिसने धमकी, गाली या अपमान कैसे भी किया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसी अन्य व्यक्ति को मौखिक रूप से, लिखित रूप से (ड्राइंग या शब्दों में) या ऑनलाइन (जैसे सोशल मीडिया पर, ईमेल में, या डिजिटल संदेश में) बोला गया था।

- **तीसरा प्रस्ताव:** दण्डनीय अपराध के लिए सज़ा को बढ़ाएँ, ताकि कानून की गंभीरता का पता चले। तीन महीने की जेल या 7 हज़ार डॉलर की सज़ा को तीन साल की जेल या 50 हज़ार डॉलर की सज़ा से बदला जा सकता है।

- **चौथा प्रस्ताव:** आपराधिक प्रावधान में किए जा रहे बदलाव से बेहतर मिलान करने के लिए नागरिक उकसाव प्रावधान की भाषा बदलें।

व्यापक भेदभाव के ख़िलाफ़ सुरक्षा में सुधार

- **प्रस्ताव पाँच:** नागरिक प्रावधान को बदलें, ताकि यह "भेदभाव को बढ़ावा" को कानून के ख़िलाफ़ बनाए।
  - कानून बदल जाएगा, ताकि उस कानून के ज़रिए संरक्षित एक विशेषता पूर्वक समूह के ख़िलाफ़ किसी व्यक्ति को भेदभाव करने और लोगों को भड़काने या उत्तेजित करने से प्रतिबंधित किया जा सके। एक व्यक्ति जो दूसरों को संरक्षित समूह के सदस्यों के साथ दूसरों की तुलना में बुरा या अलग व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह कानून तोड़ रहा होगा। इसका मतलब यह होगा कि कोई व्यक्ति तब मानवाधिकार आयोग से शिकायत कर सकता है।

- **छठा प्रस्ताव:** यह स्पष्ट करने के लिए मानवाधिकार अधिनियम में भेदभाव के आधार को जोड़ें कि ट्रांस, लिंग विविध और इंटरसेक्स लोग भेदभाव से सुरक्षित हैं।
  - वर्तमान में, लोगों के साथ उनके लिंग के आधार पर भेदभाव करना कानून के ख़िलाफ़ है। सरकार का मानना है कि यह लिंग पहचान या लिंग अभिव्यक्ति या लोगों की यौन विशेषताओं या इंटरसेक्स स्थिति के ख़िलाफ़ भेदभाव से बचाता है, लेकिन कानून इस बारे में स्पष्ट हो सकता है। विशेष रूप से लिंग और लिंग के इन पहलुओं को कवर करने के लिए कानून बदल जाएगा।

सबमिट कैसे करें

सरकार आपकी बात सुनना चाहती है

सरकार इस दस्तावेज़ के प्रस्तावों पर व्यापक श्रेणी के समूहों और लोगों से फ़ीडबैक लेना चाहती है। सुधार के लिए आपके फ़ीडबैक और सुझाव सरकार के अंतिम फ़ैसलों को सूचित करेंगे।

यह चर्चा दस्तावेज़ केवल मानवाधिकार अधिनियम में भड़काने वाले प्रावधानों में है। सरकार के ज़रिए किए जा रहे अन्य संबंधित कार्यों की जानकारी पेज 25 पर उपलब्ध है।

25 जून से 6 अगस्त 2021 तक सबमिट किया जा सकता है

[25 जून 2021 से 6 अगस्त 2021] तक सबमिट किया जा सकता है।

अगर सरकार कानून में बदलाव के लिए सहमत होती है, तो आपको चयन समिति प्रक्रिया के दौरान संशोधन बिल पर फ़ीडबैक देने का भी अवसर मिलेगा।

आप मंत्रालय की नागरिक स्थल वेबसाइट के ज़रिए सबमिट कर सकते हैं

आप [वेबसाइट] पर नागरिक स्थान पा सकते हैं। इस साइट से प्रस्तावों पर फ़ीडबैक आसानी से दिया जा सकता है।

आप ईमेल या डाक के ज़रिए भी सबमिट कर सकते हैं

आप humanrights@justice.govt.nz पर अपने जवाब भेज सकते हैं।

आप मानवाधिकार, न्याय मंत्रालय, SX10088, वेलिंगटन को एक लिखित निवेदन भेज सकते हैं।

गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी

कृपया नोट करें कि आपका फ़ीडबैक आधिकारिक सूचना अधिनियम 1982 के तहत सूचना के लिए न्याय मंत्रालय के अनुरोध के अधीन हो सकता है। आपके नाम और पते सहित, व्यक्तिगत विवरण अधिनियम के तहत रोके जा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके ज़रिए दी गई कोई भी जानकारी जारी की जाए, तो कृपया इसे स्पष्ट रूप से इंगित करें और उसकी वजह बताएँ। उदाहरण के लिए, आप चाहते हैं कि कुछ जानकारी गोपनीय रखी जाए क्योंकि यह संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी है। ऐसे अनुरोधों का जवाब देते समय न्याय मंत्रालय आपके विचारों को ध्यान में रखेगा।

गोपनीयता अधिनियम 2020 यह नियंत्रित करता है कि मंत्रालय आपके पास से दी जाने वाली जानकारी और आपकी व्यक्तिगत जानकारी को कैसे एकत्र, संभालता, इस्तेमाल और दिखाता है। आपको व्यक्तिगत जानकारी को जानने और उसे सही करने का अधिकार है।

मंत्रालय लगातार सबमिट की खास जानकारी जारी करेगा। खास जानकारी में ऐसी जानकारी शामिल नहीं होगी जो व्यक्तियों की पहचान कर सके।

सवाल और अधिक जानकारी

अगर आपके पास कोई प्रश्न है, या समीक्षा या प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ: [….], या ईमेल के ज़रिए हमसे संपर्क करें: humanrights@justice.govt.nz

सरकार प्रस्तुतीकरण में ज़्यादा से ज़्यादा बाधाओं को कम करके आसानी लाना चाहती है लेकिन यह भी समझती है कि आपके विचारों को शेयर करने में शायद अभी भी कुछ रुकावट हैं। यदि नागरिक स्थान, ईमेल या पोस्ट के ज़रिए प्रस्तुतीकरण में आपको कठिनाई हो रही है, तो कृपया ऊपर दी सूचीबद्ध में दिए किसी भी तरीके से हमसे संपर्क करें और हम प्रस्तुतीकरण में आपकी सहायता कर सकें।

सुरक्षा संबंधी चिंताएं

यह चर्चा दस्तावेज़ नफ़रत को बढ़ावा देने से संबंधित कानूनों में बदलाव पर आपके विचार चाहती है। हालांकि हम लोगों के अनुभवों के बारे में प्रस्तुतीकरण स्वीकार करते रहे हैं, हम ऐसी कोई संवेदनशील या व्यक्तिगत जानकारी देने की सलाह नहीं देते हैं जिसे आप निजी रखना चाहते हैं, और यह आग्रह करते हैं कि व्यक्ति की पहचान गुमनाम रखें।

अगर आप घृणित बोली या व्यवहार का अनुभव कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं?

आपकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस दस्तावेज़ की सामग्री आपको शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि सहायता या जानकारी कहां से लेनी है।

- अगर आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा खतरे में है, तो पुलिस से संपर्क करें। आपात स्थिति में 111 पर कॉल करें। अगर आप अभी खतरे में नहीं हैं, तो 105 पर कॉल करें।
- मानवाधिकार आयोग कैसे मदद कर सकता है, जानकारी के लिए यहां देखें https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-complaint/
    - जातीय उत्पीड़न की जानकारी के लिए https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/racially-offensive-comments/
- ऑनलाइन हो रहे दुर्व्यवहार के लिए https://www.netsafe.org.nz/
- अगर आप किसी से इस बारे में बताना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो 1737 पर कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

सरकार ऐसा क्यों कर रही है?

अभद्र भाषा क्या है?

'अभद्र भाषा' एक व्यापक शब्द है जिसका इस्तेमाल Aotearoa न्यूज़ीलैंड कानून में नहीं किया गया है। इसे आम तौर पर बोली के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक सामान्य विशेषता के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह को ठेस पहुंचाने के काम आती है, उदाहरण के लिए जातीयता, धर्म या कामुकता।

इस दस्तावेज़ के प्रस्ताव विशेष रूप से उस भाषा से संबंधित हैं जो एक समूह के खिलाफ़ घृणा को उकसाता है

मानवाधिकार अधिनियम में प्रस्ताव और मौजूदा प्रावधान उस भाषा पर ध्यान देते हैं जो एक समूह के खिलाफ़ और लोगों में 'घृणा को उकसाता है'। वह भाषा जो 'घृणा को उकसाती है' अपमानजनक या धमकी देने वाली भाषा है जो सामान्य विशेषता के आधार पर एक समूह (एक व्यक्ति पर निर्देशित होने के बजाय) के खिलाफ़ नफ़रत पैदा करती है।

घृणा भड़काने वाली भाषा बहुत नुकसान पहुँचाती है

सरकार घृणा भड़काने वाली भाषा को समानता, विविधता, सम्मान और निष्पक्षता के प्रति ख़तरा मानती है। घृणा को बढ़ावा देने पर बहुत नुकसान होता है, इससे समुदायों पर नकारात्मक असर पड़ता है और अंत में यह हिंसा की वजह भी बन सकता है। घृणा भड़काने से हमारे समाज में दुश्मनी, सामाजिक समावेश में बाधा, सभी समुदायों के बीच अविश्वास और बँटवारा होता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के अनुसार अभद्र भाषा के खिलाफ़ कानून की ज़रूरत है

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत घृणा को भड़काना प्रतिबंधित है। Aotearoa जातीय भेदभाव (CERD) के सभी रूपों के निष्कासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की पार्टी है, जिसके लिए राज्यों को जातिवाद अभद्र भाषा के खिलाफ़ कानून बनाने की जरूरत है, जो Aotearoa ने किया है।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR) को राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घृणा की वकालत करने के खिलाफ़ कानूनों की भी ज़रूरत है जो दूसरों को भेदभाव, शत्रुता या हिंसा के लिए उकसाने के बराबर है।

सरकार नफ़रत को बढ़ावा देने के खिलाफ़ सुरक्षा में सुधार चाहती है

लोगों को घृणा की उत्तेजना से बचाना सुरक्षित समुदायों को बढ़ावा देगा और यह संदेश सुनिश्चित करेगा कि घृणा की उत्तेजना ऐसा आचरण है जिसे समाज दोषपूर्ण और हानिकारक मानता है। यह पहले से ही नागरिक और आपराधिक कानून में वर्जित है, लेकिन कानून में और सुधार किया जा सकता है

सरकार जिन प्रस्तावों पर विचार कर रही है उनका विवरण पेज 17 पर उपलब्ध है।

सरकार प्रस्तावों पर आपके विचार सुनना चाहती है

इस चर्चा दस्तावेज़ का उद्देश्य इन प्रस्तावों की जांच करना है। यह प्रस्तावों पर जानकारी प्रदान करता है और सुधार के लिए फ़ीडबैक और सुझाव मांगता है।

सरकार जानती है कि इस कार्य में जनहित का उच्च स्तर है और यह बहुत ज़रूरी है कि आपके विचारों को सुना जाए।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित है लेकिन यह उचित सीमाओं के अधीन है

न्यूज़ीलैंड बिल ऑफ़ राइट्स एक्ट 1990 की धारा 14 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। इसमें किसी भी रूप में किसी भी तरह की जानकारी और राय लेने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है। 1948 के मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा और ICCPR में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि की गई है।

बिल ऑफ राइट्स एक्ट में सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं की तरह, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कानून के ज़रिए इस तरह से सीमित किया जा सकता है ताकि एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में इसे उचित ठहराया जा सके। Aotearoa में कई ऐसे कानून हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं और वह उचित हैं। ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य अधिकारों और हितों को संतुलित रखने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, फिल्म वर्गीकरण व्यवस्था बच्चों और जनता के अन्य सदस्यों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए रचनाकारों और दर्शकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है, उन्हें ऐसी सामग्री से बचाने के लिए जो उनके लिए हानिकारक हो या समाज के मानकों का उल्लंघन करती हो।

मानवाधिकार अधिनियम 1993 में बैर को बढ़ावा देने से रोकने के लिए दो प्रावधान शामिल हैं

उकसाने के प्रावधानों में नागरिक और आपराधिक प्रावधान शामिल हैं

नागरिक कानून व्यवस्था व्यक्तियों, संगठनों और कुछ मामलों में स्थानीय या केंद्र सरकार के बीच निजी विवादों को कवर करती है। विवाद अनुबंध, ऋण या लापरवाही जैसी चीजों को लेकर हो सकते हैं। नागरिक कार्रवाइयां पक्षपात से हुए नुकसान की मरम्मत के लिए और दोबारा ऐसा होने से रोकने के लिए है।

आपराधिक कानून व्यवस्था का उद्देश्य समाज द्वारा दंड, निरोध और सार्वजनिक निंदा के ज़रिए दोषी या हानि पहुंचाने वाले आचरण को प्रतिबंधित करना है। आपराधिक मामले मुख्य रूप से राज्य द्वारा, समाज की ओर से, एक व्यक्ति के खिलाफ लिए जाते हैं।

जातीय शत्रुता के खिलाफ़ नागरिक उत्तेजन का प्रावधान

मानवाधिकार अधिनियम (धारा 61) में नागरिक प्रावधान कहता है कि लिखित सामग्री का उपयोग करना, प्रकाशित करना, प्रसारित करना या बांटना या ऐसे शब्दों का उपयोग करना कानून के विरुद्ध है जो दोनों हैं:

1. धमकीभरे, अपमानजनक या निंदा करने वाले, और
2. उनके रंग, नस्ल, या जातीय या राष्ट्रीय मूल के आधार पर किसी भी समूह को शत्रुता पर उकसाने या तिरस्कार करने की संभावना है।

एक व्यक्ति मानवाधिकार आयोग (आयोग) से तब शिकायत कर सकता है जब उसे लगे कि किसी ने धारा 61 के खिलाफ कार्य किया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषण के बारे में आयोग से शिकायत कर सकता है, भले ही वह उस समूह से न हो जिसे निशाना बनाया गया।

आयोग की भूमिका शिकायत को हल करने का प्रयास करना है। आयोग सूचना, समस्या-समाधान सहायता और बीच-बचाव कर सकता है। बीच-बचाव ज़रूरी नहीं है। अगर बीच-बचाव से इनकार किया जाता है, या शिकायत हल नहीं होती, तो शिकायतकर्ता मानवाधिकार समीक्षा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) में एक आवेदन दर्ज कर सकता है। ट्रिब्यूनल सुनवाई कर सकता है और मिले सबूतों के आधार पर मामले का फैसला कर सकता है।

अगर ट्रिब्यूनल धारा 61 का उल्लंघन होते पाता है, तो जो भी उपाय उसे उचित लगे दे सकता है। इसमें यह घोषित किया जा सकता है कि मुलज़िम ने उल्लंघन किया है और उसको उल्लंघन जारी रखने या दोहराने से रोकने के लिए एक निरोधक आदेश बनाना, और 3,50,000 डॉलर तक का हर्जाना देना शामिल हो सकता है।

धारा 61 का पूरा टेक्स्ट परिशिष्ट एक में दिया है।

जातीय असामंजस्य भड़काने के खिलाफ़ आपराधिक प्रावधान

मानवाधिकार अधिनियम (धारा 131) में आपराधिक प्रावधान कहता है कि लिखित सामग्री को प्रकाशित, प्रसारित या बांटना या निम्नलिखित सभी शब्दों का इस्तेमाल करके नस्लीय असामंजस्य को भड़काना एक आपराधिक अपराध है:

1. धमकी भरे, अपमानजनक या निंदा करने वाले,

2. धमकी देना, गाली देना, या अपमान करना, रंग, नस्ल, या जातीय या राष्ट्रीय मूल के आधार पर किसी भी समूह के खिलाफ़ शत्रुता या द्वेष उत्तेजित करना, तिरस्कार करना या मज़ाक बनाना, और
3. ऐसी शत्रुता, द्वेष, तिरस्कार या उपहास उत्तेजित करने का इरादा रखना।

यह अपराध तीन महीने तक की कैद या 7,000 डॉलर के जुर्माने से दंडनीय है। धारा 131 के तहत मुलज़िम पर ज़िला न्यायालय में मुकदमा चलेगा जिससे ये तय किया जा सके कि मुलज़िम दोषी है या नहीं।

धारा 131 का पूरा टेक्स्ट परिशिष्ट एक में दिया है।

उकसाने के प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाएं हैं

एक साथ, उकसाने के प्रावधान एक संतुलित पहुंच बनाने में सक्षम रहते हैं जो घृणित भाषा की गंभीरता के खिलाफ़ दंड की तीव्रता पर विचार करता है। जुर्माना दर्शाता है कि जानबूझकर और लोगों (धारा 131) में शत्रुतापूर्ण भावनाओं को बढ़ाने की कोशिश उस इरादे के बिना बोली से ज़्यादा गंभीर है (धारा 61)।

अभी के उकसाने के प्रावधान उस भाषण को टार्गेट करते हैं, जिसके अनुसार दूसरों को यह मानना होगा कि विभिन्न जातीय समूहों से बना समाज कार्य नहीं कर सकता और यह कोशिश करता है कि लोग एक-दूसरे के खिलाफ़ हो जाएं। कानून इन भावों को उकसाने पर रोक लगाता है क्योंकि वे मानवाधिकारों और Aotearoa न्यूजीलैंड के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ असंगत हैं। ये भाव लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ मेल नहीं खाता हैं क्योंकि वे इस विचार पर आधारित हैं कि जातीयता, धर्म या कामुकता जैसी विशेषताओं के सहभागी होने की वजह से, लोगों के कुछ समूह दूसरों की तुलना में कम हैं। एक विश्वास हो सकता है कि इन समूहों को समान अधिकार नहीं देना चाहिए, इनसे अलग व्यवहार किया जाना चाहिए और बाहर रखा जाना चाहिए।

घृणा को भड़काने वाले भाषण का टार्गेट समूहों के मानवाधिकारों का अतिक्रमण करने का असर हो सकता है, जैसे समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह व्यवहार काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है और लोगों को असुरक्षित महसूस करा सकता है, अंत में उन्हें सार्वजनिक जीवन में भाग लेने और समाज में शामिल होने से रोकता है। यही सब वजह हैं कि नागरिक और आपराधिक कानून के उचित संतुलन के ज़रिए इस तरह के भाषण को रोकने की ज़रूरत है।

ऐसे और भी कानून हैं जो दूसरे तरह की अभद्र भाषा पर रोक लगाते हैं

ऐसे और भी कानून हैं जो हर व्यक्ति की सभी तरह की अभद्र भाषा के खिलाफ़ सुरक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए, सारांश अपराध अधिनियम 1981, हानिकारक डिजिटल संचार अधिनियम 2015, उत्पीड़न अधिनियम 1997 और फिल्म, वीडियो और प्रकाशन वर्गीकरण अधिनियम 1993 कुछ प्रकार के हानिकारक भाषण पर लागू होते हैं।

यह चर्चा दस्तावेज़ केवल मानवाधिकार अधिनियम में भड़काने वाले प्रावधानों पर है। सरकार के ज़रिए किए जा रहे अन्य संबंधित कार्यों की जानकारी पेज 25 पर उपलब्ध है।

मौजूदा कानून में कई समस्याओं को पहचाना गया है

मौजूदा प्रावधानों के साथ कई मुद्दों की पहचान न्याय मंत्रालय की ओर से की गई समीक्षा और 15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च मस्जिद पर हुए आतंकवादी हमले पर जांच के रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के ज़रिए की गई थी।

आपराधिक प्रावधान की मौजूदा शैली स्पष्ट नहीं है

रॉयल कमीशन ने जाना कि आपराधिक प्रावधान की शैली में उस तरह के व्यवहार का स्पष्ट रूप से उचित स्तर नहीं दिया है जिसे आपराधिक बताया जा सके। इसमें कहा गया है कि मौजूदा शैली ज़्यादा ही पेचीदा है और उसके दोबारा गठन करने की सिफ़ारिश करने का अर्थ होगा कि केवल चरम भाषण को ही कैप्चर किया जाए। रॉयल कमीशन ने नागरिक प्रावधान में शब्दों के साथ समान समस्याओं का उल्लेख किया, हालांकि इसकी सिफ़ारिशें पूरी तरह से आपराधिक प्रावधान पर केंद्रित थीं। रॉयल कमीशन ने नोट किया कि आपराधिक प्रावधान पुराना है, और नागरिक प्रावधान के विपरीत यह इलेक्ट्रॉनिक संचार को कवर नहीं करता है।

घृणा भड़काने वाले भाषण अभी के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए समूहों की तुलना में ज़्यादा समूहों को प्रभावित करते हैं

मंत्रालय की समीक्षा और रॉयल कमीशन की रिपोर्ट, दोनों ने पाया कि प्रावधान समूहों को कवर करने में बहुत संकुचित हैं क्योंकि वे केवल नस्ल, राष्ट्रीयता, जातीयता और रंग से संबंधित हैं। ये मानवाधिकार अधिनियम की धारा 21 में सूचीबद्ध तेरह "भेदभाव के निषिद्ध आधार" में से केवल चार हैं।

भेदभाव के निषिद्ध आधार का अर्थ है कि सूचीबद्ध विशेषता के आधार पर भेदभाव तब तक गैरकानूनी है जब तक कि एक या अधिक सीमित अपवाद लागू न हों। धारा 21 का पूरा टेक्स्ट परिशिष्ट एक में दिया है।

यह एक अंतर है क्योंकि कुछ समूह जो भेदभाव से सुरक्षित हैं वे नफ़रत भड़काने वाले भाषण के खिलाफ़ सुरक्षा में शामिल नहीं हैं। हालांकि, और समूह ऐसे भाषण के अधीन हो सकते हैं जो नफ़रत भड़काते हैं।

आपराधिक प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंड बहुत कम है

मंत्रालय की समीक्षा और रॉयल कमीशन की रिपोर्ट, दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि आपराधिक अपराध के लिए तीन महीने की कैद की सज़ा कम है और जानबूझकर नफ़रत भड़काने की गंभीरता को नहीं दर्शाती है।

सरकार छह प्रस्तावों पर फ़ीडबैक मांग रही है

इन प्रस्तावों का उद्देश्य क्या है?

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, प्रस्ताव मौजूदा कानून के साथ मुद्दों को संबोधित करना चाहते हैं। इन बदलाव का उद्देश्य घृणा भड़काने वाले भाषण के खिलाफ़ सुरक्षा को स्पष्ट और सफल बनाना है। इन में से कुछ बदलाव रॉयल कमीशन की सिफ़ारिश पर किए गए थे। सरकार प्रस्तावों में सभी बदलाव करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है। सैद्धांतिक समझौते का मतलब प्रस्तावों के लिए एक व्यापक सामान्य समझौता है, लेकिन विस्तृत विशेष बदलाव पर नहीं।

इन बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घृणा भड़काने वाले भाषण के खिलाफ़ समाज की ज़रूरतों और उम्मीदों को पूरा किया जाए। सरकार का मानना है कि नए प्रस्तावों से अभद्र भाषा पर रोक लगाने और कुछ मामलों में उनका अपराधीकरण करने के बीच सही संतुलन बनाया जा सकता है।

कानून में बदलाव से हमें आईसीसीपीआर के तहत अपने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलेगी और यह जनवरी 2019 में न्यूज़ीलैंड की यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (यूपीआर) में मानवाधिकार परिषद जैसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा जुलाई 2018 में महिलाओं के खिलाफ़ भेदभाव के उन्मूलन और 2017 में नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन के लिए की गई समिति।

सरकार अपने अंतिम निर्णय लेने से पहले इन प्रस्तावों पर आपके विचार सुनना और विचार करना चाहती है।

अब तक वहां पर क्या व्यवसाय हुए हैं?

अभद्र भाषा पर बातचीत

2019 में न्याय मंत्रालय और मानवाधिकार आयोग ने अनुभवों और विचारों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उन समूहों से मुलाकात की, जिनके अभद्र भाषा का शिकार होने की सबसे अधिक संभावना है। इन अनुबंधों ने इस दस्तावेज़ में प्रस्तावों की जानकारी दी।

जांच रिपोर्ट के रॉयल आयोग पर अनुबंध

क्राइस्टचर्च मस्जिदों पर आतंकवादी हमले की जांच के रॉयल कमीशन ने 8 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक रूप से अपनी रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट जारी होने के बाद, माननीय एंड्रयू लिटिल, रॉयल कमीशन के प्रमुख समन्वय मंत्री और माननीय प्रियंका राधाकृष्णन, विविधता, समावेश और जातीय समुदायों की मंत्री, कई तरह के सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों ने मुस्लिम समुदायों और व्यापक विश्वास और Aotearoa के जातीय समुदायों के साथ मिलकर जनवरी और फरवरी 2021 में 33 सार्वजनिक सभा संघटित की।

ये सभाएँ सरकार को प्रमुख चिंताओं और समुदायों की प्राथमिकताओं को समझने, रिपोर्ट और उसके परिपालन पर सवालों के जवाब देने, चल रही पहलों पर फ़ीडबैक देने और इस बात पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गईं कि कैसे समुदाय भविष्य में सरकार और सरकारी एजेंसियों के साथ जुड़कर काम जारी रख सकते हैं। इन सभाओं में

कई मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चित विषयों में से एक अभद्र भाषा, घृणा अपराध और घृणा की घटनाएं जो हमारे समुदायों के भीतर कई लोगों ने अनुभव कीं, और विधायी सुधार बदलाव के लिए एक ज़रूरी साधन है।

वैतांगी विमर्श की संधि

वैतांगी की संधि मानवाधिकार अधिनियम और इस दस्तावेज़ में प्रस्तावों में भेदभाव के खिलाफ प्रोत्साहन प्रावधानों और सुरक्षा के लिए प्रासंगिक है। माओरी एक ऐसा समूह है जो अभद्र भाषा का अनुभव करता है और वर्तमान में "जाति" या "जातीय मूल" के आधार पर उकसाने वाले प्रावधानों के अंतर्गत आता है। इस दस्तावेज़ के प्रस्तावों में माओरी सहित जातीय समूहों को नफ़रत फैलाने वाले भाषण से बेहतर तरीके से बचाने की कोशिश की गई है। खासकर, सुरक्षा को वहां मज़बूत किया जाएगा जहां माओरी भेदभाव के कई और निषिद्ध आधारों में से किसी एक के तहत कवर किया जाएगा, उदाहरण के तौर पर ताकातापुई के संबंध में।

अगले कदम

प्रस्तुतीकरणों के विश्लेषण के बाद, सरकार इस बात पर विचार करेगी कि प्रस्तावित बदलावों को वैसे रहने दें जैसे वे हैं, या फ़ीडबैक के आधार पर उन्हें बदलना है, या कोई और कार्रवाई करनी है।

प्रस्तुतीकरणों का सारांश उपलब्ध कराया जाएगा और सरकार के अंतिम फ़ैसलों की जानकारी इस साल के अंत में सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद है।

इस दस्तावेज़ से प्रस्तावों पर फ़ीडबैक के लिए प्रश्न मिलते हैं

निम्नलिखित खंड सभी छह प्रस्तावों को शामिल करता है और उन खास सवालों को दर्शाता है जो व्यक्तिगत रूप से प्रस्तावों से संबंधित हैं। तीन सवाल जिनका इस्तेमाल आप संकेत के रूप में सभी प्रस्तावों पर प्रस्तुतीकरण के लिए कर सकते हैं:

- क्या आप प्रस्ताव से उत्पन्न होने वाले किसी जोखिम या अनचाहा परिणाम देखते हैं, अगर हां, तो वे क्या हैं?
- क्या कोई तरीका है जिससे इन प्रस्तावों में सुधार किया जा सके?
- क्या ये प्रस्ताव इस दस्तावेज़ में पहले से मौजूद प्रस्तावों की तुलना में वैतांगी मुद्दों की कोई और संधि पेश करते हैं?

एक परिशिष्ट है जो कानूनी बदलाव के बारे में और विस्तार से बताता है

नीचे दिए गए दस्तावेज़ में प्रस्तावों को आम शब्दों में समझाया गया है। हालांकि, प्रस्ताव सभी शब्दों के विशिष्ट कानूनी अर्थ और कैसे कुछ शब्द विशेष व्यवहार दर्शाते हैं, के बारे में मुद्दे उठाते हैं। अगर आप मानवाधिकार

अधिनियम के लिए प्रस्तावित किए जा रहे भाषा में बदलाव के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो इस दस्तावेज़ के पीछे परिशिष्ट दो पर जाएं।

नफ़रत को बढ़ावा देने से संबंधित प्रस्ताव

उन समूहों को बढ़ाना जो भड़काव संबंधित प्रावधानों द्वारा संरक्षित है

1 *प्रस्ताव एक: उकसाने वाले प्रावधानों की भाषा में बदलाव करें ताकि वे उन सभी समूहों की रक्षा कर सकें जो घृणित भाषण के शिकार हैं*

मौजूदा कानून क्या है?

उकसाने वाले प्रावधान केवल उस भाषण पर लागू होते हैं जो किसी समूह को उनके "रंग, नस्ल, या जातीय या राष्ट्रीय मूल" की वजह से टार्गेट करता हैं।

मौजूदा कानून में क्या समस्या है?

"रंग, नस्ल, या जातीय या राष्ट्रीय मूल" पर आधारित समूहों के घृणित भाषण के ज़रिए टार्गेट किए जाने की तुलना में ज़्यादा तर धर्म, लिंग, कामुकता और विकलांगता के आधार पर समूह टार्गेट किए जाते है। सरकार सोचती है कि इन वजहों पर घृणा को भड़काना भी गलत है और ये नागरिक और आपराधिक प्रक्रियाओं के अधीन होने के योग्य है। रॉयल कमीशन ने धर्म को प्रावधानों में शामिल करना ज़रूरी समझा।

इस प्रस्ताव से क्या होगा?

यह प्रस्ताव दोनों भड़काने वाले प्रावधानों की शैली को बदल देगा ताकि वे अधिक समूहों पर लागू हो सकें जो मानवाधिकार अधिनियम के ज़रिए भेदभाव से सुरक्षित हैं।

वे अभी भी "रंग, नस्ल, या जातीय या राष्ट्रीय मूल" के आधार पर समूहों पर लागू होंगे, लेकिन उन भाषणों को भी कवर करेंगे जो मानवाधिकार अधिनियम के ज़रिए भेदभाव से संरक्षित दूसरे समूहों के खिलाफ़ घृणा या शत्रुता को उकसाते हैं।

समूह अपने वर्ग, लिंग (लिंग पहचान सहित), धार्मिक विश्वास, विकलांगता, या यौन अभिविन्यास सहित दूसरे आधारों पर भी घृणित भाषण का अनुभव करते हैं। सरकार का मानना है कि दूसरे समूह जो घृणित भाषण का अनुभव करते हैं, उन्हें भी कानून के ज़रिए संरक्षित किया जा सकता है, साथ ही सरकार उन समूहों के विचारों में भी रुचि रखती है जिन्हें इस बदलाव से संरक्षित किया जाना चाहिए।

व्यावहारिक तौर पर, अगर किसी ने कुछ ऐसा कहा या लिखा है जो कानून में दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करता है और एक विशेषता के आधार पर एक समूह को टार्गेट करता है, तो मानवाधिकार आयोग या पुलिस को शिकायत की जा सकती है। आयोग या पुलिस तब आगे की कार्रवाई तय करेगी।

प्रस्ताव एक पर फ़ीडबैक

- क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस तरह से उकसाने वाले प्रावधानों को व्यापक बनाने से इन समूहों की बेहतर सुरक्षा होगी?
    - क्यों या क्यों नहीं?
- आपकी राय में, इस बदलाव से किन समूहों को संरक्षित किया जाना चाहिए?
- क्या आपको लगता है कि ऐसे कोई समूह हैं जो घृणित भाषण का अनुभव करते हैं जो इस बदलाव से सुरक्षित नहीं होंगे?

यह स्पष्ट करना कि कानून किस व्यवहार को प्रतिबंधित करता है और कानून तोड़ने के परिणामों को बढ़ाना

2 *प्रस्ताव दो: अपराध अधिनियम में मौजूदा आपराधिक प्रावधान को एक नए आपराधिक अपराध से बदलें जो स्पष्ट और ज़्यादा प्रभावी हो*

मौजूदा कानून क्या है?

जैसा कि इस दस्तावेज़ में पहले से बताया गया है (पेज 12 पर), Aotearoa में मानवाधिकार अधिनियम की धारा 131 में जानबूझकर "नस्लीय असामंजस्य को भड़काना" अपराध है।

मौजूदा कानून में क्या समस्या है?

यह एक उलझ हुआ प्रावधान है और इसे समझना मुश्किल है। यह चार शब्दों का उपयोग करता है, "शत्रुता", "दुर्भावना", "अवमानना", और "उपहास" जिनके व्यापक अर्थ हैं और ये संभावित रूप से ओवरलैप भी हो सकते हैं। यह "एक्साइट" शब्द का इस्तेमाल इस तरह से करता है जो अक्सर बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं होता है। रॉयल कमीशन ने ये जाना कि नागरिक प्रावधान के विपरीत, यह इलेक्ट्रॉनिक संचार को कवर नहीं करता है।

इस प्रस्ताव से क्या होगा?

यह प्रस्ताव अपराध अधिनियम में एक नया आपराधिक प्रावधान बनाएगा जो मानवाधिकार अधिनियम की धारा 131 की तुलना में स्पष्ट और समझने में आसान है।

इस प्रस्ताव के तहत, "शत्रुता", "दुर्भावना", "अवमानना" और "उपहास" जैसे शब्दों को "घृणा" से बदल दिया जाएगा। यह शैली रॉयल कमीशन की ओर से एक सुझाव था, जिसने स्वीकार किया कि मौजूदा अपराध की तुलना में बदलाव शब्दों के अर्थ को कम कर देगा।

परामर्श के बाद इस प्रावधान की सटीक शैली निर्धारित कर दी जाएगी। इसमें शामिल है कि इसमें "उकसाना", "उत्तेजित करना" इस्तेमाल किया जाए या फिर इसी अर्थ का कोई दूसरा शब्द।

यह प्रस्ताव उस भाषण को प्रतिबंधित करेगा जो घृणा को बनाए रखता है या सामान्य करता है, इसके अलावा, उस भाषण को जो उकसाता या उत्तेजित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे संचार जो उन लोगों को निशाना बनाते है जो पहले से ही चरम विचार रखते हैं, गैरकानूनी होंगे।

प्रस्ताव में भाषण (इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित) संवाद स्थापित करने के सभी तरीकों को कवर किया जाएगा।

यह प्रस्ताव यह सुनिश्चित करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा कि केवल बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का अपराधीकरण किया जाए, और साथ ही यह कि दूसरों को एक समूह के प्रति घृणा पैदा और मज़बूत करने का इरादा हो।

इस नए अपराध को अपराध अधिनियम 1961 में यह संकेत देने के लिए रखा जाएगा कि यह एक गंभीर अपराध है।

इस प्रस्ताव की शैली में संरक्षित समूहों का विस्तार शामिल है। किस समूह को उकसाने वाले प्रावधानों से संरक्षित किया जाएगा, जानने के लिए प्रस्ताव एक देखें।

प्रस्ताव दो पर फ़ीडबैक

- क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस तरह से आपराधिक प्रावधान की शैली को बदलने से वह स्पष्ट और समझने में आसान हो जाएगा?
    - क्यों या क्यों नहीं?
- क्या आपको लगता है कि यह प्रस्ताव नए अपराध के तहत गैरकानूनी व्यवहारों के तरीकों को पकड़ लेगा?

3 *प्रस्ताव तीन: आपराधिक अपराध की सज़ा को बढ़ाकर तीन साल तक की कैद या $50,000 तक का जुर्माना बढ़ा दी जाए, ताकि इसकी गंभीरता को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके*

मौजूदा कानून क्या है?

मौजूदा जुर्माना (जिसका अर्थ है सज़ा) अगर किसी को आपराधिक उकसावे का दोषी पाया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा तीन महीने की जेल या $7,000 का जुर्माना है।

मौजूदा कानून में क्या समस्या है?

नए आपराधिक प्रावधान के अंतर्गत कवर किए गए व्यवहार की गंभीरता के मूल्यांकन और दूसरे आपराधिक अपराधों के साथ तुलना के आधार पर, सरकार यह मानती है कि मौजूदा सज़ाएँ बहुत कम हैं। रॉयल कमीशन ने भी यह कहा कि सज़ाएं बहुत कम थीं जिस पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल तक की कैद की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।

इस प्रस्ताव से क्या होगा?

इस प्रस्ताव के अनुसार नए आपराधिक अपराध की सज़ा को बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल की कैद या 50,000 डॉलर तक का जुर्माना कर दिया जाएगा।

जैसे यह अपराध ऐसे व्यवहार को आपराधिक मानता है जो समाज में समूहों के प्रति घृणा फैलाने की कोशिश करता है, सरकार का मानना है कि किसी व्यक्ति पर घृणा निर्देशित करने की तुलना में सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए।

कुछ तुलनीय अपराध और सज़ा:

- संक्षेप अपराध अधिनियम 1981 की धारा 3 में नियम विरुद्ध व्यवहार के अपराध में ज़्यादा से ज़्यादा तीन महीने की कैद और 2,000 डॉलर का जुर्माना है
- अपकारी डिजिटल संचार अधिनियम 2015 की धारा 22 में एक अपकारी डिजिटल संचार पोस्ट करने के अपराध में ज़्यादा से ज़्यादा दो साल की कैद या $50,000 का जुर्माना है
- अपराध अधिनियम 1961 की धारा 306 में जान से मारने की धमकी देने या गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के अपराध में ज़्यादा से ज़्यादा सात साल की कैद है
- फिल्म, वीडियो, प्रकाशन, वर्गीकरण अधिनियम 1993 की धारा 124 में आपत्तिजनक प्रकाशन बनाने या बांटने के अपराध में ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की कैद है।

प्रस्ताव तीन पर फ़ीडबैक

- क्या आपको लगता है कि यह सज़ा अपराध की गंभीरता को उचित रूप से दर्शाती है?
    - क्यों या क्यों नहीं?
- अगर आप असहमत हैं, तो उचित तुलना के रूप में किन अपराधों को लिया जाना चाहिए?

4 *प्रस्ताव चार: आपराधिक प्रावधान में किए जा रहे बदलाव से बेहतर मिलान करने के लिए नागरिक उकसाव प्रावधान की भाषा बदलें*

मौजूदा कानून क्या है?

जैसा कि पहले बताया गया है (पेज 11 देखें), मानवाधिकार अधिनियम की धारा 61 एक नागरिक प्रावधान है जो किसी व्यक्ति के लिए "रंग, नस्ल, या जातीय या राष्ट्रीय मूल" के आधार पर किसी समूह के खिलाफ़ शत्रुता या अवमानना को उकसाना गैरकानूनी बनाता है।

मौजूदा कानून में क्या समस्या है?

अगर प्रस्ताव दो लागू किया जाता है, तो आपराधिक और नागरिक प्रावधानों में इस्तेमाल की गई शैली के बीच असंगति होगी। यह इस बारे में अनिश्चितता पैदा करेगा कि "घृणा भड़काने या उकसाने" और "शत्रुता उत्तेजित या अवमानना में लाने" के बीच अंतर क्या है। यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि घृणा उकसाने के लिए नागरिक प्रावधान के तहत शिकायत की जा सकती है या नहीं। नागरिक और आपराधिक प्रावधानों के बीच यह अंतर रखने का इरादा नहीं है।

इस प्रस्ताव से क्या होगा?

यह प्रस्ताव मौजूदा शैली के साथ-साथ "घृणा को उकसाने / भड़काने, बनाए रखने या सामान्य करने" को शामिल करने के लिए नागरिक उकसाव प्रावधान की शैली को बदल देगा।

निषिद्ध व्यवहार के तरीकों में नागरिक और आपराधिक प्रावधानों के बीच एकरूपता होनी चाहिए। "घृणा" को नागरिक प्रावधान में शामिल किया जाना योग्य है, ताकि वह संचार जो सबसे गंभीर और नुक़सानदेह है उस पर भी नागरिक दायित्व लगाया जा सके।

मौजूदा प्रस्ताव नागरिक प्रावधान में कोई और बदलाव नहीं करता है। रॉयल कमीशन ने जाना कि नागरिक प्रावधान की शैली प्रवर्तनीय मुद्दों को उठाती है क्योंकि यह स्पष्ट भी नहीं है।

प्रावधान में और बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि घृणा को बढ़ावा देने के अलावा और किन व्यवहार को शामिल करता है।

प्रस्ताव चार पर फ़ीडबैक

- क्या आप धारा 61 की इस भाषा में बदलाव का समर्थन करते हैं?
    - क्यों या क्यों नहीं?
- क्या आपको लगता है कि नागरिक प्रावधान की मौजूदा शैली में किसी और हिस्से को बदला जाना चाहिए?

व्यापक रूप से भेदभाव के खिलाफ़ सुरक्षा में सुधार करना

सरकार ने मानवाधिकार अधिनियम में भेदभाव से संबंधित कानून में दो समस्याओं को पहचाना है जिसका वह समाधान करना चाहती है। सरकार प्रस्तावों पर आपके विचार सुनना चाहती है।

5 *प्रस्ताव पांच: नागरिक प्रावधान को बदलें ताकि यह "भेदभाव को बढ़ावा" को कानून के खिलाफ़ बनाए*

मौजूदा कानून क्या है?

धारा 61 में "भेदभाव को बढ़ावा देने" का कोई उल्लेख शामिल नहीं है।

मौजूदा कानून में क्या समस्या है?

ICCPR के तहत, "राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घृणा की कोई भी वकालत जो भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को उकसाती है, कानून द्वारा निषिद्ध होगी।" Aotearoa ने ICCPR के लिए साइन अप किया है, लेकिन फ़िलहाल Aotearoa में भेदभाव के लिए उकसाना कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। प्रस्तावित बदलाव Aotearoa को ICCPR के साथ हमारे कानून को बेहतर ढंग से ताल-मेल में रहने की अनुमति देंगे।

इस प्रस्ताव से क्या होगा?

यह मानव अधिकार अधिनियम द्वारा भेदभाव से संरक्षित उन समूहों के सदस्य, जो घृणा उकसाने वाले प्रावधान से आवृत होंगे, उनके खिलाफ़ भेदभाव करने के लिए दूसरों को उकसाने पर गैरकानूनी बना देगा। भेदभाव का अर्थ है किसी व्यक्ति की जातीयता या लिंग जैसी चीजों की वजह से दूसरों की तुलना में उससे बदतर व्यवहार करना। प्रस्ताव चार की तरह, यह नागरिक प्रावधान की शैली बदल देगा।

प्रस्ताव पांच पर फ़ीडबैक

- क्या आप धारा 61 में भेदभाव के लिए उकसाने पर रोक लगाने का समर्थन करते हैं?
    - क्यों या क्यों नहीं?

6 *प्रस्ताव छह: यह स्पष्ट करने के लिए मानवाधिकार अधिनियम में भेदभाव के आधार को जोड़ें कि ट्रांस, लिंग विविध और इंटरसेक्स लोग भेदभाव से सुरक्षित हैं*

मौजूदा कानून क्या है?

मानवाधिकार अधिनियम में भेदभाव के निषिद्ध आधारों की सूची में "सेक्स, जिसमें गर्भावस्था और प्रसव शामिल हैं" और "यौन अभिविन्यास, जिसका अर्थ है विषमलैंगिक, समलैंगिक, समलैंगिक स्त्री या उभयलिंगी अभिविन्यास" शामिल है।

मौजूदा कानून में क्या समस्या है?

सरकार का मानना है कि मौजूदा प्रावधान पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं जिससे ट्रांस, लिंग विविध और इंटरसेक्स लोगों को भेदभाव से बचाया जा सके। सरकार और मानवाधिकार आयोग का मानना है कि "सेक्स" का मौजूदा आधार इन

समूहों को कवर करता है, लेकिन "सेक्स" और "लिंग" अलग-अलग धारणा हैं और इस पर कानून स्पष्ट हो सकता है।

इस प्रस्ताव से क्या होगा?

यह प्रस्ताव ट्रांस, जेंडर-विविध और इंटरसेक्स लोगों के लिए सुरक्षा को स्पष्ट करने के लिए मानवाधिकार अधिनियम में भेदभाव के निषिद्ध आधारों में बदलाव करेगा। यह "लिंग" के आधार के शब्दों को बदलकर "लिंग की विशेषताओं या इंटरसेक्स स्थिति" को शामिल करने और "लिंग अभिव्यक्ति और लिंग पहचान सहित लिंग" का एक नया आधार जोड़कर किया जाएगा। यह स्पष्ट करेगा कि लिंग, लिंग अभिव्यक्ति, लिंग पहचान, लिंग विशेषताओं या इंटरसेक्स स्थिति के आधार पर भेदभाव करना गैरकानूनी है। हम और शब्दों के बारे में जानते हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है जैसे कि "सेक्स विशेषताओं की विविधता" या "नॉन-बाइनरी" लिंग विविधता के विपरीत।

इस प्रस्ताव के लिए वैतांगी की संधि खास तौर से प्रासंगिक है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यह बदलाव उचित रूप से सुनिश्चित करता है कि ताकातापुई और अन्य सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट लिंग पहचान वाले लोग भेदभाव से सुरक्षित हैं। तकातापुई एक पारंपरिक शब्द है जिसका अर्थ है 'समान लिंग का अंतरंग साथी।' इसे सभी माओरी को शामिल करने के लिए फिर से बनाया गया है जो विभिन्न लिंगों और कामुकता जैसे कि वकावाहिन, टंगाटा इरा ताने, समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांस, इंटरसेक्स और क्वीर के साथ पहचान कराता है।

यह प्रस्ताव सीधे तौर पर घृणा उकसाने वाले प्रावधानों से संबंधित नहीं है। हालाँकि, प्रस्ताव एक के फलस्वरूप ट्रांस, लिंग विविध और इंटरसेक्स लोगों को घृणा को उकसाने वाले भाषण से बचाने के लिए उकसाने वाले प्रावधानों को बढ़ाया जा सकता है।

इस प्रस्ताव पर शामिल होने का मुख्य उद्देश्य यह पक्का करना है कि अधिनियम की धारा 21 में उपयुक्त भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सरकार इसे कानून में मूलभूत बदलाव की जगह यथास्थिति का स्पष्टीकरण मानती है।

प्रस्ताव छह पर फ़ीडबैक

- क्या आप मानते हैं कि यह शब्द कोष उचित है?
- क्या आपको लगता है कि यह प्रस्ताव उन समूहों को पर्याप्त रूप से कवर करता है जिन्हें मानवाधिकार अधिनियम के तहत भेदभाव से बचाना चाहिए?
- क्या आप मानते हैं कि यह प्रस्ताव ताकातापुई सहित सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट लिंग पहचान के लोगों की उचित रूप से रक्षा करता है?

इस दस्तावेज़ में संबंधित कार्य पर विचार नहीं किया जा रहा है

यह चर्चा दस्तावेज़ व्यापक सरकारी कार्य के एक विशिष्ट पहलू पर केंद्रित है।

रॉयल कमीशन की सिफारिशों के जवाब में सरकार कई तरह के संबंधित काम कर रही है। इनमें से कुछ काम रॉयल कमीशन की रिपोर्ट से पहले ही शुरू हो गए थे। इसमें शामिल है:

- अभद्र भाषा, जातिवाद और भेदभाव का जवाब देने के लिए मानवाधिकार आयोग की क्षमता को मज़बूत करना
- नफ़रत से संबंधित अपराध की सही पहचान करने, रिकॉर्ड करने, रिपोर्ट करने और उत्तर देने के लिए पुलिस के नेतृत्व वाला कार्य
- न्याय मंत्रालय के घृणा अपराध से संबंधित कार्य
- हिंसक अतिवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए काम करें
- फिल्म, वीडियो और प्रकाशन वर्गीकरण अधिनियम के तहत आपत्तिजनक की परिभाषा में बदलाव
- संजातीय समुदायों के लिए नतीजों में सुधार के लिए संजातीय समुदायों के मंत्रालय का निर्माण
- सामाजिक एकता पर काम
- जातिवाद के खिलाफ़ एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाना, और
- गलत और दुष्प्रचार के खिलाफ़ स्थिति को मज़बूत करने पर काम करें।

MINISTRY OF JUSTICE
Tāhū o te Ture

New Zealand Government